



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68271

Dated: - 02/08/2025

अधिसूचना

विषय: वर्ष 2025 हेतु अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के नवीन संस्थागत (Institutional) एवं व्यक्तिगत (Individual) वैश्विक सदस्यता अभियान का आधिकारिक शुभारंभ, पात्रता मानदंड, शुल्क संरचना तथा विधिक पंजीकरण प्रक्रिया।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 7 (सदस्यता एवं संबद्धता नियमावली) तथा केंद्रीय शासी निकाय (Governing Council) द्वारा पारित विशेष संकल्प संख्या GC-18/2025 के अनुपालन में, वर्ष 2025 हेतु 'वैश्विक अंतर-धार्मिक सदस्यता अभियान 2025' (Global Interfaith Membership Drive 2025) का आधिकारिक शुभारंभ एतद्वारा विधिक रूप से अधिसूचित एवं प्रख्यापित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं अभियान की कालावधि

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद वैश्विक सदस्यता अभियान अधिसूचना, 2025' कहलाएगी।
- 1.2 यह सदस्यता अभियान परिषद के समस्त 150+ सदस्य देशों, जोनल मुख्यालयों एवं राज्य/प्रांतीय संभागों में समकालिक रूप से प्रभावी होगा।
- 1.3 विशेष सदस्यता अभियान का प्रथम चरण दिनांक 01 मार्च 2025 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 तक संचालित रहेगा।

2. सदस्यता की श्रेणियां एवं विहित पात्रता

परिषद के वैश्विक अधिदेश के विस्तार हेतु सदस्यता को निम्नलिखित पांच विधिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी 'क' - संस्थागत वैश्विक सदस्यता

- पात्रता: पंजीकृत धार्मिक ट्रस्ट, आध्यात्मिक संस्थाएं, अंतर-धार्मिक संवाद केंद्र, विश्वविद्यालय, शांति अनुसंधान संस्थान एवं मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन (NGOs)।
- अधिदेश: संस्थागत सदस्य परिषद के वैश्विक नीति मंचों एवं सम्मेलनों में अपने 2 आधिकारिक प्रतिनिधि नामित करने के पात्र होंगे।

श्रेणी 'ख' - व्यक्तिगत आजीवन सदस्यता

- पात्रता: प्रतिष्ठित धर्माचार्य, विद्वान, शिक्षाविद, पूर्व न्यायाधीश, राजनयिक, समाज सुधारक एवं शांति कार्यकर्ता, जिनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो तथा जिनका सार्वजनिक जीवन निष्कलंक हो।
- विशेषाधिकार: आजीवन मताधिकार एवं अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलनों में स्थायी प्रतिनिधि का दर्जा।

श्रेणी 'ग' - व्यक्तिगत वार्षिक / साधारण सदस्यता

- पात्रता: 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक जो सर्वधर्म समभाव, शांति और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों में आस्था रखता हो।
- नवीनीकरण: प्रतिवर्ष 31 दिसंबर से पूर्व सदस्यता का नवीनीकरण अनिवार्य होगा।

श्रेणी 'घ' - युवा वैश्विक शांति अध्येता सदस्यता

- पात्रता: 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के छात्र, शोधार्थी, युवा सामाजिक कार्यकर्ता एवं नवाचारी शांति दूत।
- लाभ: 'Global Youth Interfaith Leadership Program' में निःशुल्क सहभागिता एवं मेंटरशिप।

श्रेणी 'ड' - मानद संरक्षक सदस्यता

- पात्रता: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार विजेता, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष अथवा विशिष्ट वैश्विक शांति योगदानकर्ता (केवल अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष के विशेष आमंत्रण पर प्रदत्त)।

3. सदस्यता शुल्क संरचना एवं वित्तीय दिशा-निर्देश

सत्र 2025-26 हेतु शासी निकाय द्वारा अनुमोदित सदस्यता शुल्क संरचना निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:

1. संस्थागत वैश्विक सदस्यता: अंतरराष्ट्रीय आवेदक - \$1,000 USD (एकमुश्त 5 वर्ष हेतु) | भारतीय आवेदक - ₹50,000 (एकमुश्त 5 वर्ष हेतु)।
2. व्यक्तिगत आजीवन सदस्यता: अंतरराष्ट्रीय आवेदक - \$500 USD (एकमुश्त आजीवन) | भारतीय आवेदक - ₹25,000 (एकमुश्त आजीवन)।
3. व्यक्तिगत वार्षिक सदस्यता: अंतरराष्ट्रीय आवेदक - \$50 USD प्रतिवर्ष | भारतीय आवेदक - ₹2,500 प्रतिवर्ष।
4. युवा वैश्विक फैलोशिप सदस्यता: अंतरराष्ट्रीय आवेदक - \$20 USD प्रतिवर्ष | भारतीय आवेदक - ₹1,000 प्रतिवर्ष।
5. मानद संरक्षक सदस्यता: शुल्क मुक्त (Honorary & Ex-Gratia)।

4. आवेदन, विधिक संवीक्षा एवं अनुमोदन प्रक्रिया

- 4.1 डिजिटल पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद के आधिकारिक वैश्विक पोर्टल (www.interfaithcouncil.org/membership2025) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे।
- 4.2 पृष्ठभूमि सत्यापन (Background Scrutiny): संबंधित राज्य एवं राष्ट्रीय समन्वयकों द्वारा आवेदक की सामाजिक साख, पंथनिरपेक्ष आचरण एवं पूर्ववृत्त का 15 कार्यदिवसों के भीतर सत्यापन किया जाएगा।
- 4.3 केंद्रीय संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन: केंद्रीय सदस्यता संवीक्षा समिति (Central Scrutiny Board) की संस्तुति के पश्चात ही सदस्यता अंतिम रूप से स्वीकृत होगी।
- 4.4 डिजिटल पहचान पत्र व प्रमाणपत्र: सदस्यता स्वीकृत होने पर प्रत्येक सदस्य को एक 12-अंकीय 'विशिष्ट वैश्विक पहचान संख्या' (Unique Global Interfaith ID - UGID) एवं क्यूआर-कोड युक्त डिजिटल प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

5. सदस्यों के विधिक अधिकार एवं आचार संहिता

5.1 आगामी 'विश्व सर्वधर्म महासम्मेलन 2025' (नई दिल्ली) में पंजीकृत सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रतिनिधि प्रवेश एवं अधिवेशन सत्रों में सहभागिता का अधिकार होगा।

5.2 प्रत्येक सदस्य को परिषद के त्रैमासिक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान जर्नल एवं शांति बुलेटिन की निःशुल्क डिजिटल प्रति प्राप्त होगी।

5.3 आचार संहिता अनुपालन: कोई भी सदस्य ऐसा कोई भाषण, वक्तव्य अथवा कृत्य नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक विद्वेष, सामाजिक वैमनस्य अथवा किसी भी धार्मिक समुदाय की भावना आहत होती हो।

5.4 सदस्यता निरस्तीकरण: आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर केंद्रीय अनुशासन समिति की जांचोपरांत संबंधित व्यक्ति/संस्था की सदस्यता बिना किसी पूर्व नोटिस के तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

6. अभियान संचालन तंत्र एवं नोडल प्राधिकारी

इस वैश्विक अभियान के सफल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु डॉ. गुरुबचन सिंह बेदी (राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक) को अभियान का 'प्रधान नोडल अधिकारी' (Chief Nodal Officer) नियुक्त किया जाता है। समस्त क्षेत्रीय एवं प्रांतीय समन्वयक साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय नोडल प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 02/08/2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद